न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/261

1. नवलकिशोर पुत्र श्रीनारायण, जाति जाट, निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
2. रामलाल पुत्र श्रीनारायण, जाति जाट, निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
3. रंगलाल पुत्र श्रीनारायण जाति जाट, निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
4. प्रभाती बेवा श्रीनारायण जाति जाट, निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीताराम पुत्र स्व. श्री रामगोपाल, जाति जाट, निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
2. नानूराम पुत्र स्व. श्री रामगोपाल जाति जाट, निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
3. रामलाल पुत्र स्व. श्री रामगोपाल जाति जाट, निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
4. धन्नी पत्नी स्व. श्री रामगोपाल (फौत)
   - 4/1. शान्ती देवी पुत्री धन्नी पत्नी भूराराम,
   - 4/2. भूलीदेवी पुत्री धन्नी पत्नी जयराम, समस्त जाति जाट निवासीयान ढांणी दौसा वाली ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
   - 4/3. कमली पुत्री धन्नी पत्नी भगवान सहाय, जाति जाट निवासी ग्राम बदनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
   - 4/4. कैलाशीदेवी पुत्री धन्नी पत्नी जगदीश,
   - 4/5. जमनादेवी पुत्री धन्नी पत्नी प्रहलाद समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम बासडी जोगीयान नोहरावाली ढाणी तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

5. मोहरी देवी पत्नी स्व. श्रीकिशन, जाति जाट निवासी गवार जाटान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
6. संतोष देवी पुत्री स्व. श्रीकिशन पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।
7. विमला देवी पुत्री स्व. श्री किशन पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम कडवों का बास तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान।
8. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

––प्रफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री हरलाल सिंह एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री संजय जैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4/5 की ओर से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय

दिनांकः 21.09.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया कि भूमि खसरा नम्बर 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 417 रकबा 0.39 हैक्टयर राजस्व ग्राम गवार जाटान तहसील सांगानेर जिला जयपुर से रहन का इन्द्राज हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम डिलिट किया जाकर दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को प्रदान किये जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज किया जाकर प्रकरण में न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2021 पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रार्थीगण का प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आता है क्योंकि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त करने का भू अभिलेख अधिकारी को अधिकार प्रदान किये गये है और वो भी उस स्थिति में जब उक्त प्रकार की दुरूस्ती करने की पक्षकार सहमति प्रदान करें इसके अलावा धारा 136 में किसी प्रकार को कोई आदेश पारित नही किया जा सकता इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.08.2021 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट व उसके पूर्वजों के नाम जो मूर्तहीन के इन्दाज है वो 70 वर्ष से भी अधिक समय के है तथा वादग्रस्त सम्पूर्ण हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा बेदखली की मियाद खत्म हो चुकी है तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी अपीलार्थीगण भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हो चुके है इसलिये भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत इस तरह का आदेश पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि किसी पक्षकार के साथ न्याय किया जाना चाहिये बल्कि उसे लगना चाहिये कि उसके साथ न्यायालय द्वारा न्याय किया गया है किन्तु मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण भूमिका से यह स्पष्ट हो रहा कि उन्होने रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ पहूँचाने व अपीलार्थीगण के भूमि में अधिकार खत्म करने के लिये सम्पूर्ण कार्यवाही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 01.09.2021 को सांगानेर तहसील में पंचायती राज के चुनाव थे तथा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

उपखण्ड अधिकारी सांगानेर पीठासीन अधिकारी की चुनाव में ड्यूटी थी तथा सम्पूर्ण प्रकरण में दिनांक 31.08.2021 की आगामी तारीख पेशीयॉ दिनांक 13.09.2021 निर्धारित की गई तथा इसी प्रकरण में चुनावी कार्य व चुनावी ड्यूटी में व्यस्तता के बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक गरिमा को ताक में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4/5 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि ग्राम गंवार जाटान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4/5 के पिता रामगोपाल पुत्र लाला राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के दिन दर्ज थे तथा तत्कालीन खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2013 मौजा गंवार जाटान तत्कालीन तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार रामगोपाल वल्द लाला राहिन मांगीलाल, रूघनाथ पिसरान मोटा मुर्तहीन अहकाम जाट साकिन देह थे। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट के पिता की खातेदारी की भूमि के मुर्तहीन मांगीलाल, रूघनाथ पिसरान मोटा तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलार्थीगण का इन्द्राज विगत 60–65 वर्षो से गलत रूप से चले आने के कारण उक्त मुर्तहीन मांगीलाल, रूघनाथ पिसरान मोटा की फौती पर गलत रूप से विरासत का नामान्तरकरण जयराम के वारिसान अपीलार्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पूर्वज श्रीकिशन हो गया जबकि मुर्तहीन के नाम विरासत नामान्तरकरण खुलने का कानूनन कोई प्रावधान ही नही है।

रेस्पेडेन्ट संख्या 1 लगायत 4/5 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि दौरान भू प्रबन्ध कार्यवाही आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 417 रकबा 0.39 हैक्टयर बना है, तथा रेस्पोडेन्ट के पिता खातेदार रामगोपाल पुत्र लाला का स्वर्गवास हो जाने के कारण जरिये विरासत रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित भूमि बाबत तत्कालीन जयपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व 20 वर्षो के पश्चात् रहनमुक्त हो गई इस प्रकार राहिन मुर्तहीन का इन्द्राज कानूनन कोई महत्व नही है तथा राज्य सरकार द्वारा भी रहन भूमि से रहन का इन्द्राज हटाने बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के कारकूनान द्वारा उक्त इन्द्राज का अपीलार्थीगण व प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट के प्रभाव के कारण नही हटा सके।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4/5 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उक्त सम्पूर्ण कारणों से उक्त आराजी खसरा नम्बर 317 के हाल खसरा नम्बर 417 रकबा 0.39 हैक्टयर में रहन का इन्द्राज हटाया जाकर राजस्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सभी पक्षकारान का सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज रामगोपाल पुत्र लाला के नाम दर्ज रिकार्ड रही है जिस पर अपीलार्थीगण के पूर्वज जयराम वल्द जगन्नाथ मुर्तहीन का नोट अंकित है जबकि इतने वर्षो पश्चात् अंकित उक्त राहिन मुर्तहीन के नोट का कोई विधिक आधार नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2021 द्वारा उक्त भूमि की जमाबन्दी में अंकित राहिन मुर्तहीन के नोट को हटाये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय (सांगानेर) जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।